लोक विकास प्रशिक्षण संस्थान अलवर समिति/सोसायटी/संस्थान

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम लोक विकास प्रशिक्षण संस्थान अलवर समिति/सोसायटी/संस्थान है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ई-14 प्रताप नगर [illegible] अलवर है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य है—

संलग्न है।

(धवल)

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं—

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	डा. [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	डा. [illegible] श्री [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	श्री [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[13] तकनीकी शिक्षा यथा वाहन-चालन, कम्प्यूटर, विद्युत उपकरण, कृषि उपकरण, घरेलू उपकरण सुधार के प्रशिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

[14] विविध प्रकार की परियोजनाओं व कार्यक्रमों के संचालन में सहकारी व कुर्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना ।

[15] लोक कल्याणकारी योजनाओं का चिकित्सालय, औषधालय, [illegible], परामर्श केन्द्र आदि का संचालन करना ।

[16] [illegible] शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, परिवार कल्याण [illegible] करना व प्रशिक्षण देना ।

मनमोहन [illegible]

कोषाध्यक्ष	सचिव	अध्यक्ष
लोक विकास शिक्षा संस्थान अजमेर (राज0)	लोक विकास शिक्षा संस्थान अजमेर (राज0)	लोक विकास शिक्षा संस्थान अजमेर (राज0)

लोक विकास शिक्षण संस्थान

2ग 17, प्रताप नगर, मनुमार्ग,
अलवर (राज.) ☎ – 20334

आमसभा द्वारा पारित विधान के उद्देश्यों में परिवर्तन के निर्णय दिनॉक 14/02/2000 को सम्मिलित करते हुए पुराने उद्देश्यों को नया क्रमांक देते हुए नए उद्देश्य निम्न प्रकार से जोड़े गए।

क्रमांक	पूर्व उद्देश्य		वर्तमान में जोड़े गए उद्देश्य नये क्रमांक
1.	पॉच वर्ष के कम आयु वर्ग के शिशुओं के हेतु क्रय, मांटेसरी, किंडर गार्डन आदि के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना।	:	1 पूर्व वर्ष के कम आयु वर्ग के शिशुओं हेतु क्रय, मांटेसरी, किंडर गार्डनआदि के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
2.	महिला एवं बाल विकास जैसी परियोजनाओं में मातृ–शिशु कल्याण कार्य, तथा टीकाकरण पोषाहार व जनसंख्या शिक्षण की परियोजनाओं आदि से सहयोग करना।	:	2 महिला एवं बाल विकास जैसी परियोजनाओं में मातृ–शिशु कल्याण कार्य, तथा टीकाकरण पोषाहार व जनसंख्या शिक्षण की परियोजनाओं आदि से सहयोग करना।
3.	6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के लिए औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा की संख्या आवासीय व गैर आवासीय केन्द्रों को राज्य सरकार की मान्यता के आधार पर चलाना।	:	3 6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के लिए औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा की संख्या आवासीय व गैर आवासीय केन्द्रों को राज्य सरकार की मान्यता के आधार पर चलाना।
6.	सामान्य शिक्षक शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षकों, शिक्षा कर्मी व लोक जुम्बिश आदि के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करना।	:	4 सामान्य शिक्षक शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षकों, शिक्षा कर्मी व लोक जुम्बिश आदि के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करना।
7.	व्यवसायिक कौशल, संगीत, नाट्य कला, वाद्य यंत्रों का उपयोग चित्रकला, तकनीकी शिक्षा अन्य ललित कलाओं आदि की शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था करना।	:	5 व्यवसायिक कौशल, संगीत, नाट्य कला, वाद्य यंत्रों का उपयोग चित्रकला, तकनीकी शिक्षा अन्य ललित कलाओं आदि की शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था करना।
8.	जनकल्याणकारी कार्यक्रम तथा साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सतत शिक्षा, जनसंख्या शिक्षण, राष्ट्रीय एकता,पर्यावरण साक्षरता, ट्राइसम, द्वाकरा द्वारा महिला विकास आदि के प्रशिक्षण में सहयोग करना।	:	6 जनकल्याणकारी कार्यक्रम तथा साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सतत शिक्षा, जनसंख्या शिक्षण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण साक्षरता, ट्राइसम, द्वाकरा द्वारा महिला विकास आदि के प्रशिक्षण में सहयोग करना।
11.	चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु स्वास्थ्यकर्ता, नर्सिंग आदि के प्रशिक्षण आदि का संचालन करना।	:	7 चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु स्वास्थ्यकर्ता, नर्सिंग आदि के प्रशिक्षण आदि का संचालन करना।
13.	तकनीकी शिक्षा यथा वाहन–चालन, कम्प्यूटर, विद्युत उपकरण, कृषि उपकरण, घरेलू उपकरण सुधार के प्रशिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।	:	8 तकनीकी शिक्षा यथा वाहन–चालन, कम्प्यूटर, विद्युत उपकरण, कृषि उपकरण, घरेलू उपकरण सुधार के प्रशिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
14.	विविध प्रकार की परियोजनाओं व कार्यक्रमों के संचालन में जानकारी व मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध करना।	:	9 विविध प्रकार की परियोजनाओं व कार्यक्रमों के संचालन में जानकारी व मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध करना।

Cont.....2

वर्तमान में जोड़े गए उद्देश्य

क्रमांक	उद्देश्य
10.	समाज के कमजोर वर्गो, पिछड़ी जाति एवं बालिकाओं तथा विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय तथा निस्हाय महिलाओं व वृद्धों के लिए आश्रम स्थापित करना।
11.	देश में बेराजगारी को कम करने के लिए स्वरोजगार हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण के साथ–साथ निजी तथा सामुहिक तौर पर लघु उद्योग स्थापित करने में सहयोग देना और इन कार्यक्रमों एवं विकास के लिए बैंक, सरकार, खादी ग्रामोधोग बोर्ड, अन्य वित्तीय सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से दान – अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना व देना और प्रशिक्षित व्यक्तियो द्वारा उत्पादित उत्पादन के लिए बिक्री केन्द्रों की व्यवस्था करना।
12.	देश में निरक्षरता और शिक्षा की कमी की पूर्ति के लिए अनौपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित करना।
13.	देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य जिसमें स्वच्छ जल एवं स्वच्छता पर बल, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, खादी ग्रामोद्योग के कार्यक्रम आदि के कार्यान्वयन में सहयोग देना।

सत्यप्रति

अध्यक्ष
लोक विकास शिक्षण संस्थान

कोषाध्यक्ष
लोक विकास शिक्षण संस्था
अलवर (राज०)

सचिव
लोक विकास शिक्षण संस्थान

16/3/2020

16/3/2020

विधान (नियमावली)

1 संस्था का नाम : इस संस्था का नाम लोक विकास शिक्षण संस्थान [illegible] समिति/सोसायटी/संस्थान है व रहेगा

2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय [illegible] सुभाष नगर [illegible] है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान [illegible] क्षेत्र तक सीमित होगा।

3 संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है–

संलग्न है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4 सदस्यता— निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे

1 संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2 बालिग हों।
3 पागल, दीवालिये न हों।
4 संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5 संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

अध्यक्ष [illegible] शिक्षण संस्थान

मन्त्री सचिव
लोक विकास शिक्षण संस्थान

कोषाध्यक्ष
[illegible] शिक्षण संस्थान

[illegible]

संस्था के उद्देश्य:-

[1] पाँच वर्ष से कम आयु वर्ग के शिशुओं के हेतु क्रेच, नर्सरी, किंडर गार्डन आदि के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना ।

[2] महिला एवं बाल विकास जैसी परियोजनाओं में मातृ-शिशु कल्याण कार्य, यथा टीकाकरण पोषाहार व जनसंख्या शिक्षण की परियोजनाओं आदि में सहयोग करना ।

[3] 6-14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं के लिए औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा की संस्था आवासीय व गैर आवासीय केन्द्र व राज्य सरकार की मान्यता के आधार पर चलाना ।

[4] ~~अनाथ, निराश्रित, विकलांग तथा वंचित बालक-बालिकाओं के लिये आवासीय व गैर आवासीय शिक्षा की व्यवस्था करना ।~~

[5] ~~माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर की औपचारिक, अनौपचारिक तथा दूरस्थ व व्यवसायिक शिक्षा का संचालन करना ।~~

[6] बालवाड़ी शिक्षण, शारीरिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षाएँ, शिक्षा कर्मी व लोक जुम्बिश आदि के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करना ।

[7] व्यवसायिक कौशल, संगीत, नाट्य कला, वाद्य-यंत्रों का उपयोग सिखाना, तकनीकी शिक्षा अन्य ललित कलाओं आदि की शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

[8] जन कल्याणकारी कार्यक्रम यथा साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सतत शिक्षा, जनसंख्या शिक्षण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण साक्षरता, ट्राइसम, डाकरा द्वारा महिला विकास आदि के प्रशिक्षण में सहयोग करना ।

[9] अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ी जाति तथा घुमक्कड़ जातियों के बालक-बालिकाओं के लिये आवासीय व शिक्षा की व्यवस्था करना ।

[10] वृद्ध, निराश्रय, अपाहिज, विधवा व परित्यक्ता महिलाओं के लिये आवास व व्यवसायिक कौशल अभिवृद्धि परियोजनाओं में सहयोग करना ।

[11] चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु स्वास्थ्य कर्मी, नर्स आदि के प्रशिक्षण का संचालन करना ।

[12] ग्रामीण विकास के कार्यकर्ताओं के लिये विविध प्रकार के प्रशिक्षण की आवासीय व गैर आवासीय व्यवस्था करना ।

—2

(13) [illegible] शिक्षा यथा वाहन-चालन, कम्प्यूटर, विद्युत उपकरण, कृषि उपकरण, घरेलू उपकरण सुधार के प्रशिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(14) विविध प्रकार की योजनाओं व गतिविधियों के संबंध में जानकारी व मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध कराना ।

(15) ~~[illegible]~~

(16) ~~[illegible]~~ करना ।

कोषाध्यक्ष	सचिव	अध्यक्ष
लोक विकास शिक्षा संस्थान	लोक विकास शिक्षा संस्थान	लोक विकास शिक्षा संस्थान
अजमेर(राज०)	अजमेर(राज०)	अजमेर(राज०)

5 सदस्यों का वर्गीकरण

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत भी किये जा सकेंगे।

1 संरक्षक
2 विशिष्ठ
3 सम्माननीय
4 साधारण

6 सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा।

1 संरक्षक— राशि 500/- वार्षिक आजन्म
2 विशिष्ठ— राशि 250/- वार्षिक/आजन्म
3 सम्मानीय— राशि 150/- वार्षिक
4 साधारण— राशि 100/- वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रुपये एक मुश्त .... की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7 सदस्यता से निष्कासन

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा

1 मृत्यु होने पर
2 त्याग पत्र देने पर
3 संस्था के विपरीत काम करने पर।
4 प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8 साधारण सभा

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे–

9 साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे:–

1 प्रबन्धकारिणि का चुनाव करना
2 वार्षिक बजट पारित करना।
3 प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

-3-

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष
सचिव

4 संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन परिवर्तन तथा परिवर्धन करना। (रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर ना गू होगा।

10 साधारण सभा की बैठकें

1 साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2 साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3 बैठक की सूचना 7 दिवस पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।

4 कोरम के अभाव में बैठक स्थागित की जा सकेगी जो पुनः सात दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थागित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो एजेण्डा में थे।

5 संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मन्त्री/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक एवं मान्य होंगे।

11 कार्यकारिणी का गठन

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जावेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे।

1	अध्यक्ष	एक
2	उपाध्यक्ष	एक
3	मन्त्री	एक
4	उप मन्त्री	एक
5		
6		

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

5 कोषाध्यक्ष एक

6 सदस्य ~~एक~~ 2

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पद नाम परिवर्तन किए जावें तो यहाँ अंकित करें कम रखना चाहें तो कम रखलें।

वह इस प्रबन्धकारिणी में ......7......
पदाधिकारी व ......4...... सदस्य कुल ......11...... सदस्य होंगे।

12 कार्यकारिणी का निर्वाचन	1 संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिये साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। 2 चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्ध कारिणी द्वारा की जावेगी।
13 कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य	संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे। 1 सदस्य बनाना निष्कासित। 2 वार्षिक बजट तैयार करना। 3 संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना। 4 वैतनिक कर्मचारियों को नियुक्ति करना तथा उनके वेतन, भत्तों का निर्धारण करना। 5 साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों का क्रियान्वित करना 6 कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना। 7 अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।
14 कार्यकारिणी की बैठकें	1 कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी। लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2 बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

अध्यक्ष
अध्यक्ष
[illegible] शिक्षा संस्थान
[illegible] (राज०)

मन्त्री
सचिव
[illegible] शिक्षा संस्थान
[illegible] (राज०)

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
[illegible] शिक्षा संस्थान
[illegible] (राज०)

3 बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15 प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य

संस्था की प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे–

अध्यक्ष

1 बैठकों की अध्यक्षता करना।
2 मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3 बैठकें आहूत करना।
4 संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5 संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
6 अन्य।

उपाध्यक्ष

1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2 प्रबन्ध कारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

मन्त्री

1 बैठकें आहूत करना।
2 कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड करना।
3 आय व्यय पर नियन्त्रण करना।
4 वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5 संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

अध्यक्ष

मन्त्री/सचिव

कोषाध्यक्ष

6 पत्र व्यवहार करना ।
7 सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हों ।

उपमन्त्री

1 मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना ।
2 अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जायें ।

कोषाध्यक्ष

1 वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना ।
2 दैनिक निर्धारित पर नियन्त्रण रखना ।
3 चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना ।
4 अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न कराना ।

16 संस्था का कोष

संस्था का कोष निम्न प्रकार संचित होगा –

1 चन्दा
2 शुल्क
3 अनुदान
4 सहायता
5 राजकीय अनुदान

1 उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी ।
2 अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा ।

17 कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार

1 संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे ।

1 अध्यक्ष 5000/— रुपये
2 मन्त्री 2000/— रुपये
3 कोषाध्यक्ष 1000/— रुपये

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा ।

अध्यक्ष
मन्त्री
कोषाध्यक्ष

18 संस्था का अंकेक्षण	संस्था के समस्त लेखे जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा।
19 संस्था के विधान में परिवर्तन	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगी।
20 संस्था का विघटन	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।
21 संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण	रजिस्ट्रार संस्थाएं अजमेर को संस्था के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिए गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) लोक विकास शिक्षण संस्थान अजमेर समिति/सोसायटी/संस्थान की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष	मन्त्री	कोषाध्यक्ष
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
लोक विकास शिक्षण संस्थान	लोक विकास शिक्षण संस्थान	लोक विकास शिक्षण संस्थान
अजमेर (राज०)	अजमेर (राज०)	अजमेर (राज०)

21-5-16